

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 242 / 2023

तारीख रजू :- 23.10.2023

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/508

उनवान

वीरवल पुत्र बाबूलाल जाति कोली निवासी झारेडा रोड बाईपास पुल के पास हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

--वादी

बनाम

अमरसिंह पुत्र चन्दर जाति कोली निवासी बहादुरपुर तहसील टोंडाभीम जिला करौली लण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

--प्रतिवादीगण 02

दिनांक	फर्द अहकाम
10/23	<p>यह दावा वादी को ओर से श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
17/23	<p>18-3-24</p>
18/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील का भी। अदालत में बार-बार वादी व वादी वकील का आवाज दिलवायी गयी। अदालत दिलवाने के बावजूद वादी व वादी वकील प्रकरण खत्म करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हैं। अतः मुझे 20/2/23 दावा की रजूर व काम अमरसिंह अदालत यानी न अदालत यानी न अदालत दिखा जाता है। पत्रावली केवल सुनार ही सुनार कर दी गयी।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)

